



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 412 राँची, शुक्रवार,

29 अगस्त, 2025 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

29 अगस्त, 2025

संख्या :- 01/नीति-05-04/2025- 1627--झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह-पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी/आयातित विदेशी (मूल में बोतलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/ब्रीजर/लिक्योर/शैम्पेन/अन्य किसी प्रकार की मदिरा जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपभोग हेतु अनुमति दी गई हो) के भंडारण एवं थोक बिक्री हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति-05-03/2022-649 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह नियमावली "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जायेगी।
- इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
- यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं-

- i. **“अधिनियम”** से अभिप्रेत है, ‘झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित)’;
- ii. **“राज्य”** से अभिप्रेत है, ‘झारखंड राज्य’;
- iii. **“विभाग”** से अभिप्रेत है, ‘उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड’;
- iv. **“अनुज्ञप्ति प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद;
- v. **“उपायुक्त”** से अभिप्रेत है, जिला का उपायुक्त/समाहर्ता;
- vi. **“कॉरपोरेशन”** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0;
- vii. विलोपित;
- viii. **“विनिर्माणशाला”** से अभिप्रेत है, सभी प्रकार के मदिरा के Compounding, Blending, मद्य हासीकरण तथा बोतलबंदी के लिए स्थापित प्रतिष्ठान;
- ix. **“संचयकर्ता”** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) जिसे खुदरा उत्पाद दुकानों में तथा होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब अनुज्ञाधारियों को मदिरा की आपूर्ति हेतु उत्पाद प्रपत्र 1C के संचयन गोदाम में मदिरा का भंडारण की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो (संशोधित);
- x. **“थोक विक्रेता”** से अभिप्रेत है, वैसे संस्थान, जिन्हें इस नियमावली के तहत प्रपत्र 1D में मदिरा के थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;
- xi. **“खुदरा विक्रेता”** से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित नियमावली एवं समय-समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों से उपभोक्ताओं को मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञाधारी (संशोधित);
- xii. **“मदिरा”** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 2 (14) में यथा परिभाषित पेय;
- xiii. **“ब्राण्ड”** से अभिप्रेत है, मदिरा के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अपने व्यापार चिन्ह एवं नाम की मदिरा के विभिन्न प्रकार यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाइन एवं अन्य शराब, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा मदिरा विक्रेताओं/होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकानों को बिक्री/उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;
- xiv. **“एक्स डिस्टिलरी प्राइस (Ex-distillery Price)/एक्स ब्रीवरी प्राइस (Ex-brewery Price)/एक्स वाइनरी प्राइस (Ex-winery Price)”** से अभिप्रेत है, मदिरा के आपूर्तिकर्ता द्वारा आयुक्त उत्पाद को समर्पित मूल्य, जिसमें विनिर्माण लागत, पैकेजिंग लागत, समय-समय पर लागू विभिन्न प्रकार के कर/शुल्क (मूल्य वर्धित कर को छोड़कर), लाभांश, आपूर्ति शुल्क तथा परिवहन व्यय इत्यादि सम्मिलित हो (संशोधित);

- xv. **“लैंडिंग प्राइस (Landing Price)”** से अभिप्रेत है, संचयकर्ता अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम में मदिरा पहुँचने तक का मूल्य;
- xvi. **“थोक बिक्री मूल्य”** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये गये मदिरा का थोक बिक्री मूल्य (संशोधित);
- xvii. **“खुदरा बिक्री मूल्य”** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए, मदिरा का निर्धारित अधिकतम मूल्य;
- xviii. **“पेटी”** से अभिप्रेत है, विदेशी शराब के मामले में 1000ml का 9 बोतल, 750ml का 12 बोतल, 375ml/275ml का 24 बोतल, 180ml का 48 बोतल एवं 90ml का 96 बोतल/r-PET/Tetra pack/Aseptic Pack। बीयर के मामले में 650ml का 12 बोतल, 500ml, 330ml, 325ml का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब हेतु विभिन्न माप की बोतलों के लिए समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित माप एवं संख्या तथा भारत में आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) व ब्रीजर/LAB के सभी पैक साईज, संख्या व माप (बोतल/कैन/ r-PET/Tetra pack/ Aseptic Pack) (संशोधित);
- xix. **“भारत निर्मित विदेशी शराब”** से अभिप्रेत है, भारत में बनायी हुई विदेशी शराब, जिसमें व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जीन, वोदका, बीयर, लो स्ट्रेंथ अल्कोहलिक बिबरेज (LAB) एवं वाईन इत्यादि सम्मिलित है;
- xx. **“आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)”** से अभिप्रेत है, “विदेशों में निर्मित बोतलबंद तथा भारत में आयातित विदेशी मदिरा (Bottled-in-origin) के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012” में यथा परिभाषित;
- xxi. **“पॉपुलर ब्रांड”** से अभिप्रेत है, मदिरा [भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), के वैसे ब्राण्ड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने कटेगरी में 10% से अधिक हो। समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी। मदिरा की खुदरा बिक्री के सभी अनुज्ञाधारी पॉपुलर ब्राण्ड को दुकान में अवश्य रखेंगे।
- xxii. **“अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क”** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में मदिरा की आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ता (राज्य के देशी शराब अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला शुल्क, जिसे वापस नहीं किया जायेगा (संशोधित);
- xxiii. **“आवेदक”** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु कम्पनी द्वारा प्राधिकृत निदेशक;

- xxiv. **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् किसी भी कैलेण्डर वर्ष के पहली अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इक्तीस (31) मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
- xxv. **"संचयन गोदाम (वेयरहाउस)"** से अभिप्रेत है, झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों/प्रक्षेत्रों में अवस्थित झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गोदाम;
- xxvi. **"आपूर्तिकर्ता"** से अभिप्रेत है, उत्पाद प्रपत्र 19B/1E अनुज्ञप्तिधारी (HUF/व्यक्ति/कम्पनी/फर्म), जिन्हें विभाग द्वारा झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के विभिन्न गोदामों में विभाग द्वारा निबंधित ब्राण्डों की मदिरा आपूर्ति हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत की गई हो अथवा जिन्हें राज्य में देशी शराब के विनिर्माण हेतु उत्पाद प्रपत्र CL- I, CL- II एवं CL- III में अनुज्ञप्ति प्राप्त हो (संशोधित);
- xxvii. **"प्रक्षेत्र"** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित जिला/जिला समूह, एक या एक से अधिक जिला के सम्भाग का समूह;
- (xxviii) विलोपित;
- xxix. **"आपूर्ति शुल्क"** से अभिप्रेत है, मदिरा आपूर्तिकर्ता, द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मदिरा पर देय आपूर्ति शुल्क, जो झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचयन गोदाम में, मदिरा संचयन के पूर्व संग्रहित कर राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा (अंतःस्थापित);
- xxx. **"OFS (Order for Supply)"** से अभिप्रेत है, अनुमत मदिरा आपूर्तिकर्ता के द्वारा संचयकर्ता के गोदाम में मदिरा की आपूर्ति हेतु किया जाने वाला आवेदन, जिसपर प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जायेगा (अंतःस्थापित);
- xxxi. **उत्पाद प्रपत्र 1'E'** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य के बाहर से मदिरा का आयात कर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 1C गोदाम में संचयन की अनुमति हेतु आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत किया जाने वाला अनुज्ञप्ति-सह-अनापति प्रमाण पत्र प्रदान की गई हो (अंतःस्थापित);

स्पष्टीकरण :-जबतक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द, जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जो झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य नियमावली में है ।

3. संचयकर्ता की अनुज्ञप्ति एवं संचालन -

- (i) इस अनुज्ञप्ति का अनन्य विशेषाधिकार झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को प्रदान किया जायेगा। आयुक्त उत्पाद द्वारा प्रमंडल/प्रक्षेत्र में 1 (एक) गोदाम की अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जायेगी, जिसमें झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मदिरा संचयन की जायेगी। प्रत्येक संचयकर्ता अनुज्ञप्ति (प्रपत्र 1C) हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेडए रु0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए जमा करेगा (संशोधित) ।

(ii) मदिरा के संचयकर्ता, अनुज्ञप्ति प्रपत्र 1C के अंतर्गत गोदाम में मदिरा का संचयन जिला में मदिरा की खपत क्षमता के आधार पर किया जायेगा। इस गोदाम से जिला के खुदरा उत्पाद दुकानों/होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब में मदिरा की आपूर्तिकर्ता की जायेगी। आवश्यकतानुसार आयुक्त उत्पाद द्वारा एक जिला के गोदाम से किसी अन्य जिला के गोदाम में मदिरा का हस्तांतरण का आदेश दिया जा सकेगा। किसी जिला में गोदाम की अनुपलब्धता की स्थिति में आयुक्त उत्पाद के आदेशानुसार उक्त जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों तथा होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों को ऐसे जिला के गोदाम से मदिरा की आपूर्ति की जा सकेंगी, जिस जिला के गोदाम से गोदाम विहीन जिला को मदिरा की आपूर्ति हेतु संबद्ध किया गया हो। थोक बिक्री हेतु, संचयन का गोदाम, सुलभ परिवहन के दृष्टिकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाहिए (संशोधित) ।

(iii) संचयकर्ता गोदाम का चयन झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा एवं स्थल का अनुमोदन जिला के उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा।

(iv) संचयकर्ता, अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व, उक्त गोदाम में अग्निशमन विभाग के मापदण्डों के अनुरूप समुचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करेगा (संशोधित) ।

4. **थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों के प्रकार, स्थान एवं संख्या का निर्धारण** - सम्पूर्ण राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों तथा होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के लिए मदिरा की थोक बिक्री हेतु अनन्य विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) के तहत अनुज्ञप्ति JSBCL को प्रदान की जायेगी (संशोधित)।

5. विलोपित ।

6. विलोपित ।

7. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया** -

(i) मदिरा की थोक बिक्री (उत्पाद प्रपत्र 1D) हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को संचयकर्ता एवं थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति आयुक्त उत्पाद के द्वारा प्रदान की जायेगी (संशोधित)।

(ii) विलोपित

(iii) जमानत की राशि, अनुज्ञप्ति शुल्क एवं आपूर्ति शुल्क- झारखंड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति (उत्पाद प्रपत्र 1D) के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क, एक वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए हेतु न्यूनतम 12 करोड़ रुपये देय होगा एवं सभी प्रकार के खर्च एवं कर के भुगतान के उपरांत झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के शुद्ध बचत का 80% भी आगामी वित्तीय वर्ष में थोक विक्रेता (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा जमा किया जाने वाला अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त मदिरा आपूर्तिकर्ता द्वारा ₹0 5 प्रति बल्क लीटर की दर से आपूर्तिकर्ता शुल्क देय होगा, जो झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अपने संचयन गोदाम में, मदिरा संचयन के पूर्व आपूर्तिकर्ता से संग्रहित कर राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा। सम्पूर्ण राज्य में मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को **जमानत राशि** के रूप में 2 (दो) करोड़ रुपये राज्य कोषागार में जमा करना अनिवार्य होगा (संशोधित) ।

(iv) विलोपित

(v) **जमानत की राशि की वापसी-** अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय-समय पर वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा (संशोधित) ।

(vi) सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के कैंन्टिन (उत्पाद प्रपत्र 21) को मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु उत्पाद प्रपत्र 1 की अनुज्ञप्ति, इस नियमावली के क्रियाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञप्ति प्रपत्र में प्रदान की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि 3 लाख रुपये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि 12 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत झारखंड राज्य में असैनिक आपूर्ति हेतु निबंधित आपूर्तिकर्ता के, केवल झारखंड राज्य में निबंधित ब्राण्डों की ही बिक्री की जायेगी (संशोधित) ।

8. मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि -

(i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्त की जायेंगी, जिनका नवीकरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन एवं वांछित अनुज्ञप्ति शुल्क प्रत्येक वर्ष के 10 मार्च तक अवश्य रूप से जमा कर देगा (संशोधित) ।

(ii) विलोपित

(iii) विलोपित

9. थोक विक्रेता एवं संचयनकर्ता के रूप में झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का उत्तरदायित्व -

(i) इस नियमावली के तहत झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, मदिरा आपूर्तिकर्ता के माध्यम से राज्य में अवस्थित विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के संचयन एवं थोक बिक्री का कार्य करेगा (संशोधित) ।

(ii) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र में आवश्यकतानुसार संचयन गोदाम (वेयरहाउस) का चयन करेगा। गोदामों के स्थल चयन में इस तथ्य का संज्ञान रखा जायेगा कि गोदाम से प्रक्षेत्र अंतर्गत सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्तिकर्ता सुचारु रूपेण की जा सके ।

उक्त गोदामों में केवल उसी आपूर्तिकर्ता के मदिरा का संचयन किया जायेगा, जिसको विभाग द्वारा अनुमति प्रदत्त हो (संशोधित) ।

(iii) झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में जिला के अंतर्गत मांग के अनुरूप अबाधित आपूर्ति हेतु मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का भंडारण करना अनिवार्य होगा। इस निमित्त पूर्व के वर्षों में ड्यूटी/स्लैब या बाजार मांग के अनुसार झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक ड्यूटी Slab की मदिरा एवं पॉपुलर ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध

का भंडारण करेगा। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए बाध्यकारी होगा (संशोधित) ।

(iv) आपूर्तिकर्ता के द्वारा झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मदिरा आपूर्ति संबंधी एकरारनामा करने से पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग हेतु आयुक्त उत्पाद से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 5 (पाँच) लाख रुपये प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए चालान (विभागीय मुख्यशीर्ष 0039) के माध्यम से अग्रिम देय होगा। उक्त अग्रिम देय आवेदन शुल्क की राशि अप्रत्यर्पणीय होगी। उक्त आवेदन शुल्क नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से लागू होगी। राज्य अंतर्गत देशी शराब निर्माता-सह-आपूर्तिकर्ता अनुज्ञप्तिधारी, जिसे उत्पाद प्रपत्र CL- I, CL- II एवं CL-III में अनुज्ञप्ति प्राप्त है, को पृथक रूप से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उक्त गोदामों में केवल उसी आपूर्तिकर्ता के मदिरा का संचयन किया जायेगा, जिसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा अनापति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत किया गया है (संशोधित) ।

(v) झारखंड राज्य के बाहर से आपूर्ति मदिरा का झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयन गोदाम में भंडारण की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को आयुक्त उत्पाद द्वारा उत्पाद प्रपत्र 1'E' में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी तथा झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इन्हें उत्पाद प्रपत्र 1C गोदाम में एक निर्धारित जगह दी जायेगी। उत्पाद प्रपत्र 1'E' के आपूर्तिकर्ता संचयन गोदाम के निर्धारित स्थल में मदिरा का संचयन कर सकेंगे एवं वाणिज्यकर विभाग तथा उत्पाद विभाग के प्रावधानों के तहत मदिरा की Billing झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को करेंगे।

उत्पाद प्रपत्र 1'E' के आपूर्तिकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को मदिरा संचयन से पूर्व ₹0 2/- प्रति पेटी अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा, जिसका संग्रहण झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा करते हुए राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा (संशोधित)।

(vi) खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्तिकर्ता हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड/विभाग के पोर्टल के माध्यम से पारक निर्गत करने हेतु खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा Indent लगाया जायेगा, जिसकी स्वीकृति संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला अन्तर्गत मदिरा परिवहन हेतु अधिकतम दो दिन का समय परिवहन पारक में दिया जायेगा। किसी कारणवश दो दिन के अंदर मदिरा का उठाव नहीं करने की स्थिति में परिवहन पारक की मान्यता अवधि को सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा (संशोधित) ।

(vii) आपूर्तिकर्ता एवं थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी, वाणिज्यकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य वर्धित कर (VAT) का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। मदिरा आपूर्तिकर्ता द्वारा मदिरा के परेषण एवं संचयन के दौरान मदिरा विनष्ट होने पर उत्पाद कर/शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी (संशोधित) ।

(viii) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट पर विकसित एवं प्रयोग में लायी जा रही विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं पंजियों के अनुसार ही मदिरा के स्कन्ध (Stock) का संधारण किया जायेगा (संशोधित) ।

(ix) थोक अनुज्ञाधारी का लाभान्श - भारत निर्मित विदेशी मदिरा यथा विस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB) यथा ब्रीजर, विदेश निर्मित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) इत्यादि के लिए JSBCL का लाभान्श अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 4.5% तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाधारी का लाभान्श थोक अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 3% निर्धारित किया जाता है ।

झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उक्त राशि का उपयोग उत्पाद विभागीय आधारभूत संरचना यथा केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र की स्थापना, चेकपोस्ट, वाहन क्रय, कार्यालय निर्माण, तकनीकी सहायता एजेन्सी का कार्यालय व्यय, Digital Lock, GPS] IT आधारभूत संरचना, उत्पाद मुख्यालय नियंत्रण कक्ष एवं उत्पाद आसूचना संग्रहण इत्यादि को मजबूत करने में खर्च कर सकता है (अंतःस्थापित) ।

(x) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं निर्गत विभिन्न आदेश/निदेशों में आवंटित अन्य कार्य, जिसके लिए झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है, का निष्पादन भी करना होगा (संशोधित) ।

(xi) खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के द्वारा झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम से मदिरा के क्रय के उपरान्त मदिरा आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि का भुगतान झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाक्षिक अवधि में किया जायेगा (संशोधित) ।

नोट - नियम 9 एवं 10 के एकीकृत किये जाने के फलस्वरूप पूर्व का नियम 10 विलोपित किया गया ।

10. विलोपित

11. झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मदिरा आपूर्ति की प्रक्रिया -

(i) प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा OFS (Order for Supply) के निर्गमन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी (संशोधित) ।

(ii) उत्पाद प्रपत्र 1C गोदाम से तीन माह से अधिक समय तक मदिरा का उठाव न होने पर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड आपूर्तिकर्ताओं पर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रावधानों के अनुसार प्रति पेटी विलंब शुल्क (Demurrage Charges) की वसूली कर सकेगा (संशोधित) ।

(iii) विलोपित

(iv) आपूर्तिकर्ता से झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके संचयन गोदाम (वेयरहाउस) तक मदिरा के परिवहन हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पोर्टल के माध्यम से परिवहन पारक उत्पाद विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा (संशोधित) ।

(v) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित स्कन्ध का संचयन गोदाम के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मदिरा संचयन से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियाँ संबंधित पंजियों/ऑनलाइन पंजी में की जायेगी। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में ही मदिरा संचित की जायेगी (संशोधित) ।

(vi) विशेष परिस्थिति में जिला से बाहर मदिरा का स्थानांतरण, अंतर गोदाम (वेयरहाउस) संचयन प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से NOC प्राप्त करने के उपरांत, आयुक्त उत्पाद से अनुमोदन प्राप्त कर, किया जा सकेगा (संशोधित)।

(vii) JSBCL द्वारा राज्य में मांग के अनुरूप मदिरा आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में, संबंधित आपूर्तिकर्ता के ऊपर उत्पाद कर में हुई क्षति के समतुल्य राशि का अर्थदण्ड प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची की अनुशंसा पर, आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा। मांग के अनुरूप वांछित मदिरा की आपूर्ति हेतु झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सभी मदिरा आपूर्तिकर्ताओं को लिखित रूप से 20 (बीस) दिन पूर्व सूचित कर दिया जायेगा (अंतःस्थापित) ।

12. मदिरा की क्षति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता की देयता -

(i) झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में आपूरित मदिरा के रखरखाव एवं भंडारण की जिम्मेवारी झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। मदिरा स्कन्ध के MIS तथा मदिरा के झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड गोदाम में संचयन के उपरांत यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, उसके लिए यह जिम्मेवारी झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी। मदिरा के MIS से पूर्व सभी प्रकार के Transportation आदि से संबंधित क्षति के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होंगे। प्रत्येक माह झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयन गोदाम में भंडारित मदिरा की क्षति की वास्तविक गणना जिला गोदाम प्रभारी, डिपो प्रबंधक, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना अनिवार्य होगा तथा क्षतिग्रस्त बोतलों का पूरी तरह से विनष्ट किया जायेगा। क्षतिग्रस्त बोतलों का विनष्टीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रखी जायेगी। परिवहन क्षति/संचयन क्षति में सन्निहित मदिरा की मात्रा, गोदाम में संचित स्कन्ध से घटा दिया जायेगा। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गोदामों में संचित मदिरा का बीमा कराना आवश्यक होगा ।

झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबंधक के द्वारा मदिरा की क्षति किये जाने की स्थिति में उक्त मदिरा क्षति की वसूली डिपो प्रबंधक से की जायेगी (संशोधित) ।

(ii) झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचयन गोदाम में Pre Duty Paid मदिरा के स्कन्धों का ही संचयन किया जायेगा (संशोधित) ।

13. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम के कार्य करने की अवधि-** मदिरा के थोक बिक्री की गोदामें पूर्वाह्न 09:00 बजे से रात्रि 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी ।

14. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों को बंद करना (शुष्क दिवस)-**

(i) मदिरा की थोक बिक्री की गोदामें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मभारित आदेश पारित कर मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों की बंदी करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों को बंद नहीं कराया जायेगा ।

15. **JSBCL के संचयन गोदाम में स्टॉक रजिस्टर का संधारण-** विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र एवं JSBCL के पोर्टल में ऑनलाइन संधारित किये जाने वाले पंजियों में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा ।

16. **आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना -** संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप में प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड संचयकर्ता, आपूर्तिकर्ता एवं विनिर्माता/खुदरा अनुज्ञाधारी/होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP Based Electronic Boom Barrier, GPS Based Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर स्थापित करेगा एवं अवश्य रूप से केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के साथ connected रहेगा, Data Sharing करेगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवस्था में रखेगा। इस कार्य के लिए झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड Technical Support Agency की नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, विभाग द्वारा निबंधित/अनुमोदित लेबलों से भिन्न ब्राण्ड की मदिरा की थोक बिक्री नहीं कर सकेंगे। जिन ब्राण्ड पर Excise Hologram नहीं चिपका हुआ हो, उसकी भी थोक बिक्री नहीं की जायेगी। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, Expired Stock की भी थोक बिक्री नहीं करेगा (संशोधित) ।

17. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण -** उत्पाद विभाग के प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद, JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के वरीय प्रभार में रहेंगे। साथ ही अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारी उक्त गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी (Bond Officer) के प्रभार में रहेंगे, जिनका पदस्थापन मुख्यालय स्तर से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा ।

18. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच-** जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच अनुज्ञाधारी के लागत पर करायी जा सकेगी। मदिरा के FSSAI मानकों के अनुरूप नहीं होने पर थोक विक्रेता एवं उस ब्राण्ड के आपूर्तिकर्ता कम्पनी के उपर जाँचोपरांत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

19. मदिरा के ऊपर अधिरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर की दर में परिवर्तन होने पर राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या 23-137-2 दिनांक 29.04.1919 के नियम 147 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी ।

20. विलोपित ।

21. **संचयकर्ता गोदामों का स्थानांतरण-** JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के गोदामों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम के स्थल स्थानांतरण की अनुमति आयुक्त उत्पाद के अनुमोदनोपरांत जिला के उपायुक्त/समाहर्ता द्वारा दी जा सकती है ।

22. **मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया-** आपूर्तिकर्ता द्वारा झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयन गोदाम में भंडारित मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं होने अथवा बिक्री योग्य नहीं रहने की सूचना देते हुए इसे विनष्ट करने का अनुरोध संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के समक्ष किया जायेगा। इनके विनष्टीकरण की कार्रवाई सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद अथवा उनके प्रतिनिधि तथा झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं मदिरा आपूर्तिकर्ता के समक्ष की जायेगी ।

रसायनिक परीक्षण में मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में भी सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद उक्त मदिरा के विनष्टीकरण की कार्रवाई करेंगे ।

उक्त मदिरा के विनष्टीकरण हेतु सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद विनष्टीकरण की तिथि एवं स्थल का निर्धारण कर आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उक्त तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होने की सूचना देंगे। आपूर्तिकर्ता प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा एक बार स्मारित किया जायेगा। तदुपरांत मदिरा विनष्टीकरण की कार्रवाई कर दी जायेगी ।

विनष्टीकरण के पश्चात झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने स्कन्ध पंजी से विनष्टीकृत मदिरा की मात्रा को घटा देंगे। विनष्टीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉडिंग किया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

इस प्रकार के मदिरा विनष्टीकरण की स्थिति में आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी दावा मान्य नहीं होगा (संशोधित) ।

23. **Non-saleable/अनिबंधित Stock** की वापसी/विनष्टीकरण आयुक्त उत्पाद के निदेशानुसार की जा सकेगी ।

24. **भूतपूर्व थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी एवं वितरकता अनुज्ञाधारी के स्कन्ध का निष्पादन-** झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) के तहत वर्णित सदस्य, राजस्व पर्षद के अनुदेशों से संबंधित कंडिका 117 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप की जायेगी। परंतु, स्कन्ध स्थानांतरण के कारण भूतपूर्व थोक विक्रेता को केवल क्रय मूल्य (सभी प्रकार के ड्यूटी/कर को छोड़कर) का भुगतान नये अनुज्ञाधारी द्वारा किया जायेगा।

वितरकता अनुज्ञाधारियों (19C/19E/19F) के गोदाम में संचित स्कन्ध का स्थानांतरण नये थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी के माध्यम से संचयनकर्ता के गोदाम में इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा। इस विधि से स्कन्ध के निष्पादन हेतु आयुक्त उत्पाद द्वारा आवश्यकतानुसार निदेश जारी किये जा सकेंगे।

25. अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ -अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने नियमों/आदेशों/निदेशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्ति अधिरोपण संबंधी कार्रवाई की जायेगी। किसी अनियमितता का शास्ति निर्धारित नहीं हो, इस संबंध में आयुक्त उत्पाद आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय ले सकेंगे।

26. “झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025” में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर इसे आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

27. इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त संचयकर्ता एवं थोक विक्रेता (JSBCL), झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे (संशोधित)।

28. **निरसन-**

(i) सभी प्रकार के मदिरा की थोक बिक्री एवं वितरक से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत गोदामों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से निरसित समझी जायेंगी, तथापि ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में लिये गये सभी निर्णय इस नियमावली के तहत समझे जायेंगे।

(ii) इस नियमावली को पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
